न्यायालय,सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

ीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०
ाजस्व वाद संख्या : 85/2021
ःCMSNo.- : 2021/204

–: वादीगण :– बनाम –: प्रतिवादीगण :–

1. अरविन्दकुमार सिंगारिया पुत्र चांदमल सिंगारिया जाति रेगर, निवासी अम्बेडकर कालोनी, राजमहल होटल के पीछे ब्यावर, जिला अजेमर (राज.)
2. चम्पालाल पुत्र गुलाराम, जाति मेघवाल, निवासी गांव बाड़सा, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली।

1. गोपाल पुत्र बुधाराम
2. माणकचन्द पुत्र बुधाराम
3. सुरेश पुत्र बुधाराम
4. सीता पत्नि भंवरू
5. गोविन्द पुत्र भंवरू
6. धन्ना पुत्र रामा कौम नायक सभी निवासीगण भीवगढ।
7. कानाराम पुत्र गुलाबचन्द कौम भांबी निवासी कुमावतो का मौहल्ला गोविन्दगढ तहसील पींसागन जिला अजमेर।
8. तहसीलदार एवं उपपंजियन अधिकारी महोदय, जैतारण जिला पाली (राज)।

दावा बाबत् घोषणा, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञ अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:.27/07/2021

उपस्थित:. 1. श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री अमित त्रिपाठी, अधिवक्ता, प्रतिवादी।

–:: निर्णय ::–

दिनॉक:– 26/05/2022

वकील मय वादीगण ने राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा ग्राम भींवगढ पटवार हल्का रास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली में खसरा नम्बर 2089 रकबा 0.8984 हैक्टेयर किस्म सेवज अव्वल व खसरा नम्बर 2110 रकबा 0.7932 हैक्टेयर किस्म सेवज दोयम कुल खसरा 2 कुल रकबा 1.6916 हैक्टेयर की आई हुई है। उक्त खसरे की भूमि में वादी 13/16 हिस्से यानि 1.3744 हैक्टेयर भूमि पर रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार के काबिज है तथा राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर भूमि अलग अलग बंटी हुई है व हिस्सानुसार सभी का कब्जा व काश्त है मगर वादी व प्रतिवादी की सम्पूर्ण भूमि एक खाते के रुप में शामलाती दर्ज है व नक्शा ट्रेस में भी सम्पूर्ण भूमि एक जोत दर्शाई गई है। मौके पर कब्जे व काश्त अनुसार अलग अलग तरमीम की हुई नहीं है। तथा विवादित आराजी को वाद में आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जावेगा। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 की व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति वादपत्र के साथ पेश है। जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। उपरोक्त कृषि भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:00:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

ादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सामलाती कृषि भूमि है, जिसका बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के कानूनी बंटवाडा नही हो रखा है तथा उपरोक्त कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर शांतिपूर्ण तरीके से काश्त व काश्त मुतालिक तमाम कार्य करते आ रहे है, परन्तु उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड मे सामलाती दर्ज होने से आये दिन प्रतिवादीगण वादी के साथ उक्त कृषि भूमि की सीमा को लेकर विवाद करते रहते है एवं वादी की खन्दक/मेडबन्दी तारबन्दी को तोड फोडकर देते है एवं वादी को हर समय उनके हक हिस्से की भुमि से बेदखल करने पर आमादा रहते है। जबकि मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हक हिस्से एवं खातेदारी भूमि पर काबिज है एवं मनागना काश्त करते चले आ रहे है। वादी की वादग्रस्त उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि 13/16 हिस्से यानि 1.3744 हैक्टेयर भूमि मौके पर बंटी हुई है। वादी का अलग सें कब्जा व काश्त है, वादी ने प्रतिवादीगण को मौके के कब्जे व काश्त व हिस्से व खातेदारी अनुसार भूमि का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के तकासमा करवाकर खाते अलग दर्ज करवाने व हिस्से अनुसार नक्शा ट्रेश में तरमीम करने का तकास्मा करवाने का कहा मगर प्रतिवादीगण की नियत सही नहीं होने से उन्होने बंटवाडा करवाने सें दिनांक 15.07.2021 को मना कर दिया जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई काननी अधिकार नही है, वादी अपनी भूमि का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के तकास्मा करवाने का अधिक़ारी है इसलिए दावा तकास्मा आराजी खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। बाद तकास्मा आराजी वादी अपनी खातेदारी कब्जे काश्त व हिस्से की वादग्रस्त भूमि का उपयोग, उपभोग बतौर खातेदार काश्तकार के करने के अधिकारी है व प्रतिवादीगण को वादी के हक हिस्से व कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखलादांजी, बाधा पैदा करने का कोई कानूनी अधिकार नही है यदि प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादीको असीम हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर सम्भव नही है, प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादी को बार बार फौजदारी मुकदमें करने पडगे। जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी। इसलिए वादी प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है इसलिए दावा स्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। प्रतिवादी संख्या 8 तहसीलदार साहब, जैतारण वादग्रस्त भूमि के लैण्ड होल्डर है जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि है जो बंटवाडे के वाद मे आवश्यक एवं प्रोपर पक्षकार होने से बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है।उनके विरुद्ध कोई रिलीफ नही चाही गई है। बिनाय दावा दिनांक 15.07.2021को वादीद्वारा प्रतिवादीगण को वादीगण के हिस्से की भूमि का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंट्वाडा करने का कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा मना करने एवं बिना बंटवाडा करवाये सामलाती भूमि का किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण करने एवं वादी को उनके हक हिस्से व कब्जे की भुमि से बेदखल करने की धमकी देने पर बमुकाम भीवंगढ (रास) तहसील जैतारण जिला पाली हुआ जो श्रीमान् के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में होने से अन्दर म्याद श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:00:27 IST
Reason: SelfAttested

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिगण संख्या 01 व 06 को बार बार आवाजें दिलाई गई, बावजूद सम्मन्

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

सूचना/तामिल के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 07 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ। प्रतिवादी संख्या 07 जवाब दावा पेश नहीं सहमति जाहिर कि हस्तगत वाद में वादी के साथ प्रतिवादी संख्या 07 का भी माफिक राजस्व रेकर्ड अनुसार बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस के बंट्वाड़ा किया जावें। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष की सुनी गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद–पत्र, शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर गौर कर मनन किया गया। जमाबन्दी सरहद मौज़ा ग्राम भींवगढ़ सम्वत् 2076–2079 का अवलोकन किया गया। जिसमें वादीगण बरूबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है, खसरा नम्बर 2089 रकबा 0.8984 हैक्टेयर किस्म सेवज अव्वल व खसरा नम्बर 2110 रकबा 0.7932 हैक्टेयर किस्म सेवज दोयम वादी एवं प्रतिवादी संख्या 07 के हक–हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंट्वाड़ा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि कि सरहद मौजा भींवगढ पटवार हल्का रास के खसरा नम्बर 2089 रकबा 0.8984 हैक्टर किस्म सेवज अव्वल, खसरा संख्या 2110 रकबा 0.7932 हैक्टर किस्म सेवज दोयम, कुल खसरा 2 कुल रकबा 1.6916 हैक्टर की भूमि जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंट्वाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाँउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग–अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी/नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंट्वाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2022/971 दिनांक 21/10/2021 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण के पत्रांक/भू.अ./2022/3302 दिनांक 13/05/2022 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंट्वाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकील वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील उभयपक्ष ने माफिक बंट्वाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकील वादी एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँट्वाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा भींवगढ पटवार हल्का रास II के खसरा नम्बर 2089 रकबा 0.8984 हैक्टर किस्म सेवज अव्वल, खसरा संख्या 2110 रकबा 0.7932 हैक्टर किस्म सेवज दोयम, कुल खसरा 2 कुल रकबा 1.6916 हैक्टर की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जांता हैं :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:00:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान
1.	चम्पालाल पुत्र गुलाराम जाति मेघवाल हि. 35/39 निवासी हाल मुकाम ग्राम रास तहसील जैतारण जिला पाली अरविन्द कुमार पुत्र चांदमल जाति रेगर हि. 4/39 निवासी अम्बेडकर कॉलोनी राजमहल होटल के पीछे, ब्यावर जिला अजमेर, सा.देह खातेदार	2089	0.7200	सेवल अव्वल	0.73
		2110	0.6445	सेवज दोयम	0.64
	योग	2	**1.3745**		1.37
2.	कानाराम पुत्र गुलाबचंद जाति मेघवाल हि. 1/9 निवासी कुमावतो का मौहल्ला गोविन्दगढ तहसील पीसांगन जिला अजमेर, सीता पत्नी भंवरू जाति नायक हि. 1/9 गोविन्द पुत्र भंवरू जाति नायक हि. 1/9 धन्ना पुत्र रामा हि. 1/3 गोपाल पुत्र बुधा हि. 1/9 सुरेश पुत्र बुधा हि. 1/9 माणक पुत्र बुधा हि. 1/9 सर्व जाति-नायक सा. देह खातेदार	2089/1	0.1684	सेजल अव्वल	0.17
		2110/1	0.1487	सेजल दोयम	0.15
	योग	**2**	**0.3171**		0.32

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर जैतारण, जिला-पाली
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 26/05/2022 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (जिला-पाली)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, जैतारण, जिला-पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:00:27 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- **सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण**

बईजलास :- **डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०**

-: वादीगण :-

1. अरविन्दकुमार सिंगारिया पुत्र चांदमल सिंगारिया जाति रेगर, निवासी अम्बेडकर कालोनी, राजमहल होटल के पीछे ब्यावर, जिला अजेमर (राज.)
2. चम्पालाल पुत्र गुलाराम, जाति मेघवाल, निवासी गांव बाइसा, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली।

बनाम

-: प्रतिवादीगण :-

1. गोपाल पुत्र बुधाराम
2. माणकचन्द पुत्र बुधाराम
3. सुरेश पुत्र बुधाराम
4. सीता पत्नि भंवरू
5. गोविन्द पुत्र भंवरू
6. धन्ना पुत्र रामा कौम नायक सभी निवासीगण भीवगढ।
7. कानाराम पुत्र गुलाबचन्द कौम भांबी निवासी कुमावतो का मौहल्ला गोविन्दगढ तहसील पींसागन जिला अजमेर।
8. तहसीलदार एवं उपपंजियन अधिकारी महोदय, जैतारण जिला पाली (राज)।

मु०न० :रा०वा० स०: 85/2021

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई व श्री अमित त्रिपाठी, अधिवक्ता, प्रतिवादी, मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं सरहद मौजा भींवगढ पटवार हल्का रास II के खसरा नम्बर 2089 रकबा 0.8984 हैक्टर किस्म सेवज अव्वल, खसरा संख्या 2110 रकबा 0.7932 हैक्टर किस्म सेवज दोयम, कुल खसरा 2 कुल रकबा 1.6916 हैक्टर की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान
1.	चम्पालाल पुत्र गुलाराम जाति मेघवाल हि. 35/39 निवासी हाल मुकाम ग्राम रास तहसील जैतारण जिला पाली अरविन्द कुमार पुत्र चांदमल जाति रेगर हि. 4/39 निवासी अम्बेडकर कॉलोनी राजमहल होटल के पीछे, ब्यावर जिला अजमेर, सा.देह खातेदार	2089	0.7200	सेवल अव्वल	0.73
		2110	0.6445	सेवज दोयम	0.64
	योग	2	1.3745		1.37

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:00:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण जिला पाली

2.	कानाराम पुत्र गुलाबचंद जाति मेघवाल हि. 1/9 निवासी कुमावतो का मौहल्ला गोविन्दगढ तहसील पीसांगन जिला अजमेर, सीता पत्नी भंवरू जाति नायक हि. 1/9 गोविन्द पुत्र भंवरू जाति नायक हि. 1/9 धन्ना पुत्र रामा हि. 1/3 गोपाल पुत्र बुधा हि. 1/9 सुरेश पुत्र बुधा हि. 1/9 माणक पुत्र बुधा हि. 1/9 सर्व जाति-नायक सा. देह खातेदार	2089/1 2110/1	0.1684 0.1487	सेजल अव्वल सेजल दोयम	0.17 0.15
	योग	2	0.3171		0.32

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेखा भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख **26/05/2022** को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण, जिला पाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्दायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02-00	स्टाम्प वकालतनामा	01-00
स्टाम्प वकालतनामा	01-00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	/	महनताना वकील	/
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर	02-00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	/	मुत्फरिक	
मिजानः-	05-00	मिजानः-	01-00

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा जो फरीक को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:00:27 IST
Reason: SelfAttested